न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 169 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. चेतनराम पुत्र मालाराम फौत **बनाम** 1.लीलाराम पुत्र लाखाराम उम्र 54 वर्ष के कायम मुकाम इन्द्राराम पुत्र
   चेतनराम उम्र 40 वर्ष

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थित

1. वकील श्री अमित धनदे अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री सुनील बी.एल.रामावत प्रार्थी आवेदक की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 14.06.2019

प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना–पत्र एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना–पत्र का पेश जबाव का जबावबुल जबाव पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार बताय है कि अपीलांट को पूर्व में गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने तथा विभाजन प्रस्ताव व गलत मौका नक्शा तैयार करने के बारे में जानकारी नहीं थी परन्तु वर्तमान में अरसा 10–12 दिन पूर्व अपीलांट अपने बाहामी बंटवाडे के अनुसार भूमि पर रबी फसल काश्त करने हेतु तैयारी करने लगा तो उतरदातागण ने कहा कि इस वर्ष हम भूमि विधिवत बंटवाडे के अनुसार काबिज होकर काश्त करेगे तथा आपके पुराना कब्जा व ढाणी खाली करनी पड़ेगी। अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन निर्णय की नकले मांगी जो दिनांक 02.11.2017 को मिली जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अपीलार्थी के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय में कभी अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया था विभाजन प्रस्ताव को तत्कालीन पटवारी व राजस्व कर्मचारियों ने अपीलार्थी को अन्धेरे में रखते हुऐ खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर तैयार किया गया तथा आज दिन तक राजस्व रेकर्ड पटवारी हल्का के पास अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में नामान्तरकरण पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में कोई जानबूझकर देरी नहीं की गई। अपील पेश करने में हुई सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस में बताया कि अपीलकर्ताओं ने अपने प्रार्थना–पत्र में गलत व मनगढत तथ्य लिखे है; विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के पिता के अंगुष्ठ तथा अंतिम निर्णय डिक्री उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित की गई थी जिससे साबित है कि अपीलांट को आलोच्य आदेश का पूर्ण ज्ञान था। मौके पर जोत विभाजन दोनों पक्षों की सहमति से कब्जे–काश्त के अनुसार हुआ था, अपीलांट ने अपने आवेदन में यह कहीं पर भी नहीं दर्शाया है कि उसे पांच वर्षों तक आलोच्य आदेश का ज्ञान कैसे नहीं हुआ? जबकि कानून अपीलांट को प्रत्येक दिन के विलम्ब का संतोषजनक जबाव दिया जाना आवश्यक है। अपीलांटगण द्वारा पांच वर्षों बाद मात्र रेस्पोडेंट को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से आलोच्य आदेश का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी अपील पांच वर्षों के अकारण विलम्ब से पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से लिमिटेशन के आधार पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को आवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साबित करते है कि विभाजन के वक्त एवं निर्णय के वक्त अपीलांट पक्ष की उपस्थिति रहीं है इसलिए उन्हे निर्णय की भलीभांति जानकारी थी। अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं विलम्ब के लिए अपीलांट पक्ष के द्वारा बताये कारण इसके शमन के लिए पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। लिहाजा अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने लायक है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner